



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन, लि०,  
“खाद्य भवन”, दारोगा राय पथ, आर०ब्लॉक, रोड नं० २, पटना ८००००१  
कार्यालय आदेश

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रशासनिक संरचना के पुर्नगठन के फलस्वरूप प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर संविदा पर नियोजन के संबंध में।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संकल्प ज्ञापांक प्र०३-विविध नि०-१०/ २०१६-५३६३ दिनांक १८.१०.१७ के द्वारा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रशासनिक संरचना के पुर्नगठन किया गया है, जिसे निगम निदेशक पर्वद के मद सं० १५०.९ से अनुमोदन प्राप्त है तथा निगम आदेश ज्ञापांक १११८६ दिनांक ३.११.१७ से निगम के प्रशासनिक संरचना के पुर्नगठन को लागू किया गया है।

निगम में प्रशाखा पदाधिकारी के १३ पद स्वीकृत है, जिसका वेतनमान PB-2+4800 ग्रेड पे है। वर्तमान में निगम में एक भी प्रशाखा पदाधिकारी कार्यरत नहीं है। निगम कार्यों को सुचारु रूप से संचालन हेतु निगम निदेशक पर्वद के निर्णय के प्रत्याशा में निगम ज्ञापांक १२४५ दिनांक ५.१२.१८ से प्रशाखा पदाधिकारी के स्वीकृत पद पर संविदा पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में बिहार राज्य खाद्य निगम में निगम के प्रशासनिक संरचना के पुर्नगठन के फलस्वरूप प्रशाखा पदाधिकारी के कुल स्वीकृत १३ पदों के लिए वेतनमान PB-2+4800 पर संविदा पर नियोजन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

निगम निदेशक पर्वद के मद सं० १५२.९ में प्रशाखा पदाधिकारी के १३ पदों पर नियोजन की स्वीकृति के साथ-साथ निम्न निर्णय लिये गये-

“Approved, Process of regular appointment for vacant posts should be started at the earliest and all the contractual appointments shall be terminated thereafter”.


तदनुसार बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पुर्नगठन के फलस्वरूप १३ प्रशाखा पदाधिकारी की संविदा पर नियुक्ति की स्वीकृति के साथ-साथ प्रशाखा पदाधिकारी की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रारंभ करने का निदेश दिया जाता है।

  
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक-३.०२.१७३.०१.१६-२७०३

/पटना, दिनांक-१७/३/१८


प्रतिलिपि-मुख्य महाप्रबंधक, जन वितरण/अधिप्राप्ति/मुख्य सतर्कता पदाधिकारी/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक/विपत्र लिपिक/जन सम्पर्क कोषांग/प्रबंध निदेशक कोषांग, निगम मुख्यालय एवं सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक-३.०२.१७३.०१.१६-२७०३

/पटना, दिनांक-१७/३/१८

प्रतिलिपि-अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रबंध निदेशक